राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 627, 628, 629, 630 व 631/2014/.....जिला.....भरतपुर .....

उनवान– 1. मैसर्स तारा पारीख, 104, मंगल बिल्डिंग कासरवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र, वाहन संख्या आर.जे. 05/जीए–5253 बनाम् सहायक आयुक्त वृत्त–बी, भरतपुर ।

2. मैसर्स तारा पारीख, 104, मंगल बिल्डिंग कासरवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र, वाहन संख्या आर.जे. 05/जीए–5254 बनाम् सहायक आयुक्त वृत्त–बी, भरतपुर ।

3. मैसर्स जगदीश पारीख पुत्र श्री रामगोपाल, 484/3, सागर कार्नर, फ्लेट नं.–11–ए, खासरवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र, वाहन संख्या आर.जे. 05/जीए–5252 बनाम् सहायक आयुक्त वृत्त–बी, भरतपुर ।

4. मैसर्स जगदीश पारीख पुत्र श्री रामगोपाल, 484/3, सागर कार्नर, फ्लेट नं.–11–ए, खासरवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र, वाहन संख्या आर.जे. 05/जीए–5251 बनाम् सहायक आयुक्त वृत्त–बी, भरतपुर ।

5. मैसर्स जगदीश पारीख पुत्र श्री रामगोपाल, 484/3, सागर कार्नर, फ्लेट नं.–11–ए, खासरवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र, वाहन संख्या आर.जे. 05/जीए–5250 बनाम् सहायक आयुक्त वृत्त–बी, भरतपुर ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.2015	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक **24.12.2013,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) सपठित राजस्थान के स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 की धारा–7 के तहत् पारित किये गये है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिनमें सहायक आयुक्त, वृत्त–ब, भरतपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "प्रवेश कर अधिनियम" कहा जायेगा) की **धारा 3, 6 व 7** के तहत् पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक **08.10.2012** में कायम की गयी वसूली योग्य मांग राशि में से क्रमशः रू.**90,266/–, रू.91,071/–, रू.91,071/–, रू.91,071/– व रू.91,071/–** पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इन्कार करने के आदेश को विवादित कर, उक्त पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री डी.कुमार व विभाग की ओर से श्री एन. के.बैद उप–राजकीय अभिभाषक रोक आवेदन पत्रों पर बहस हेतु दिनांक 01.01.2015 को उपस्थित हुये। रोक आवेदन पत्रों पर बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। अतः प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को विदड्रा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में रोक आवेदन पत्रों को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र विदड्रा करने के कारण, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र "सारहीन" हो जाने के कारण खारिज किये जाते हैं। अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। निर्णय प्रसारित किया गया। 2.1.2015 (मदन लाल) सदस्य	